शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

महिलाओं के सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार

डॉ.नरेन्द्र नागर, हुकुम सिंह
राजनीति विज्ञान विभाग
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ, उत्तरप्रदेश, भारत

शोध सक्षेप

भारतीय संविधान में महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक महिलाएं शोषण का शिकार होती रही हैं। महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित किया जा सके इसलिए इन्हें संविधान द्वारा सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना

महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करने हेतु संविधान द्वारा प्रदत्त सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक अधिकार का अध्ययन महिलाओं को समानता का अधिकार देता है तथा राज्य को यह अधिकार देता है कि समानता लाने के लिये वह महिलाओं के प्रति सकारात्मक योजनायें बनायें। देश में महिलाओं की स्थिति जानने के लिये हमें उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन के बारे में जानना आवश्यक है।

इसके अन्तर्गत बहुत सारे पहलू सम्मिलित होते हैं। जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर प्रजनन जन्म दर, शहरीकरण, सामाजिक मानसिकता परंपरा राजनैतिक एवं वैधानिक अधिकार इत्यादि। भारतीय समाज में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति विभिन्न युगों में एक जैसी नहीं रही है। सिद्धान्ततः भारतीय समाज में स्त्री शक्ति, धन एवं ज्ञान का प्रतीक मानी गई है परन्तु व्यवहार में स्त्रियों की ऐसी उच्च स्थिति वैदिक युग में ही थी। वैदिक युग में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे परन्तु उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा शोचनीय हो गई। उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार के अधिकारों का शोषण होता रहा। लेकिन मुस्लिम काल में तो स्त्रियों की दशा में और भी ज्यादा गिरावट आ गई। बाल विवाह के कारण स्त्री शिक्षा का विकास ही रुक गया। स्त्रियों का कर्त्तव्य घर की चारदीवारी में रहना तथा पति की सेवा करना माना गया।

मुस्लिम स्त्रियों को हिन्दू स्त्रियों की तुलना में धर्म ग्रन्थों द्वारा कुछ ज्यादा अधिकार प्राप्त थे, परन्तु पर्दा प्रथा के कारण वे अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती थीं। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दोनों धर्मों की महिलाओं की स्थिति अत्यन्त विचारणीय थी। दोनों धर्मों की महिलायें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं पारिवारिक विषमताओं की शिकार थीं। ऐसी स्थिति में

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

मानवतावादी और समतावादी भावनाओं से प्रेरित होकर समाज सुधारकों ने स्त्रियों के अधिकारों के पक्ष में आवाज उठाई तथा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज जैसी संस्थाओं के माध्यम से स्त्रियों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। इन्हीं समाज सुधारकों का परिणाम है जब भारत का संविधान लागू हुआ तो स्त्रियों की गरिमा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। आज पंचायतों के माध्यम से, अधिकारों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिकएवं राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं।

महिलाओं का सशक्तिकरण

अनुच्छेद 14 में राज्य किसी भी नागरिक चाहे वह स्त्री हो या पुरूष किसी भी वर्ग, जाति या धर्म का हो सामाजिक भेद भाव नहीं करेंगे तथा कानून सभी के लिये बराबर होगा। कानून की नजर में सभी व्यक्ति बराबर होगे।

अनुच्छेद 15 में सामाजिक वर्ग भेद की समाप्ति पर जोड़ दिया गया है। राज्य जन्म या मित्र के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगा। राज्य स्त्री एवं पुरूष दोनों को समान दृष्टिकोण प्रदान करेगा। राज्य किसी भी आधार पर कोई भेदभाव स्त्री एवं पुरूषों में नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 भी महिलाओं के अधिकारों की व्याख्या है। राज्य किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों पर स्त्री एवं पुरूषों से सम्बन्धित कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्त्री एवं पुरूषों को स्वतन्त्रता का बराबर का अधिकार देता है।

19 (क) भारत सरकार के प्रत्येक नागरिक को भाषण लेखन एवं अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार करने की स्वतन्त्रता दी गई है। इसमें प्रेस की स्वतन्त्रता भी निहित है। अर्थात समाचार पत्रों के माध्यम से विचारों का प्रकाशन इस अधिकार में सम्मिलित है।

19 (ख) में सभी नागरिकों को शान्तिपूर्ण सभा करने का अधिकार है।

19 (ग) में सभी नागरिकों को समुदाय एवं संघ बनाने की स्वतन्त्रता है। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा अनुच्छेद 19 (1) ब् में 'संघ' के बाद या को आॅपरेटिव सोसाइटीज शब्द जोड़े गए हैं। अर्थात व्यक्ति को को आपरेटिव सोसाइटीज बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

19 (घ) भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रतिबन्ध के भ्रमण करने तथा आवास की सुविधा प्रदान की गई पर इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित तथा अनुसूचित जातियों के हित के उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है।

19 (घ) भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रतिबन्ध के भ्रमण करने तथा आवास की सुविधा प्रदान की गई पर इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित तथा अनुसूचित जातियों के हित में उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है।

19 (ड) भारतीय नागरिकों को वृत्ति उपजीविका व्यापार तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 मानव गरिमा तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इसमें स्त्रियों को सम्मान प्राप्त है। यह अधिकार उनकी गरिमा की रक्षा करता है।

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

अनुच्छेद 21 में किसी भी प्राणी को कानून द्वारा ही उसके प्राणों से वंचित किया जा सकता वो भी तब जब उसने कोई जघन्य अपराध किया हो अन्यथा किसी दूसरे प्रयास द्वारा ऐसे उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए चाहे वो लडका हो या लड़की मुफ्त शिक्षा का प्रावधान भी है। इस अनुच्छेद में यह भी प्रावधान है कि हम किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को फोन टेप नहीं कर सकते हैं। बिना कारण बताये किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसमें अधिकार में प्रत्येक दशा में स्त्री एवं पुरुष दोनों की गरिमा का पूरा ध्यान रखा जायेगा। संविधान का अनुच्छेद 23 महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 23 में कोई भी व्यक्ति किसी महिला या पुरुष की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। जबरन कोई भी कार्य नहीं ले सकता है। उनसे दास प्रथा या वैश्यावृत्ति जैसे कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसके मजदूरों एवं कामगार वर्ग के काम के घण्टे भी सुनिश्चित किये गये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एशियाड श्रमिक केस (1982) में बेगार श्रम या जबरन मजदूरी में मजदूरी में किसी व्यक्ति द्वारा न्यूनतम वेतन पर काम करने को सम्मिलित माना है।

इसी आधार पर संविधान के अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय की स्थापना पर जोर दिया गया तथा स्त्री एवं पुरुष दोनों को निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराया गया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक रूप से स्वावलम्बन की शक्ति प्रदान करता है।

39 में स्त्री एवं पुरुष सभी के लिए आय के पर्याप्त साधन मौजूद रहेंगे तथा राज्य दोनों को इन्हें प्रदान करेगा।

39 समुदाय की भौतिक सम्पदा के स्वामित्व और नियन्त्रण का सामूहिक हित में वितरण होगा।

39 स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान इस अनुच्छेद में है। बालकों के विकास निःशुल्क न्याय तथा उनके लिए उचित वातावरण का निर्माण करना भी राज्य का कर्त्तव्य होगा।

नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहे वो स्त्री हो या पुरुष राज्य का अपना कर्त्तव्य होगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के द्वारा राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना पर बल दिया गया है। इसमें महिलाओं की 33 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। राज्य में तीन तरह की पंचायतें काम करती हैं। ग्राम पंचायत, ब्लाक पंचायत, जिला पंचायत इन तीनों में महिलाओं की 33 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित है। जिसके माध्यम से महिलाएं देश, राज्य, गाँव इन सभी का विकास कर सकती हैं। अशोक मेहता कमेटी, बलवन्त राय समिति इन सभी के माध्यम से ग्राम पंचायतों में महिलाओं के विकास तथा उन्हें मजबूत आधार प्रदान करने के लिए उनके स्थान सुनिश्चित किये गये हैं।

संविधान के अनुच्छेद 42 में राज्य महिलाओं के काम की दशा सुनिश्चित करेगा तथा प्रसूति के समय उनकी सहायता की व्यवस्था करेगा। राज्य महिलाओं के काम के घण्टे भी निश्चित करेगा तथा जरुरत पडने पर उन्हें स्वास्थ्य सुविधायें भी प्रदान करेगा। राज्य महिलाओं के शिष्ट जीवन स्तर की व्यवस्था करेगा।

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

इस प्रकार अधिकारों द्वारा महिलाओं की स्वास्थ्य साक्षरता रोजगार तथा प्रजननता तथा उसकी जागरुकता में काफी सुधार हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए इसमें और सुधार की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए समय-समय पर राज्य एवं केन्द्र सरकारें अच्छी-अच्छी योजनायें चलाते रहें जिससे उनकी स्थिति में और ज्यादा सुधार हो सके महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए और निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं-

1.सर्वप्रथम महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करने होगें। महिला संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं को इस दिशा में प्रयास करने होंगे।

2.शहरों के साथ ही गांवों में महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न रोकने के लिए महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करना होगा उन्हें संगठित होकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा भी मिलेगी।

3. महिलाओं के लिए गाँवों में जागरुकता फैलाने के लिए गोष्ठियां की जाये तथा उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियां भी प्रदान की जाये।

4. महिलाओं का उत्पीडन रोकने के लिए महिला थानो की स्थापना की जाये।

5.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिला भागीदारी को बढावा दिया जाये।

6.वर्तमान में लागू महिला संबंधी कानूनों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना जिसमें महिलाओं को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान कानूनी और वास्तविक रूप से सभी मानवाधिकार हासिल हो।

निष्कर्ष : महिलाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाया जाये जिससे वो किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकें। महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाये जिससे वो किसी के ऊपर निर्भर न रह सके तथा आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। महिलाओं को अपनी सोच में भी परिवर्तन करना होगा जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1.कमला सिंधवी, आधुनिक परिवार में स्त्री, कल्याण शिक्षा परिषद दरियागंज, नई दिल्ली, 2011

2.ओमप्रकाश जोशी, भारत में सामाजिक परिवर्तन, रिसर्च पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1982

3.आर.एस. वाजपेयी, सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण, किताब घर जयपुर, 1975

4.ए.एम. अंसारी, महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन जयपुर